राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांकः प015(105)ज.सं./2012 जयपुर, दिनांक :13.02.15

-: आदेश :-

श्री कालूराम, अधीक्षण अभियंता को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 23.02.08 के द्वारा दण्डित किये जाने के कारण अतिरिक्त मुख्य अभियंता की वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरूद्ध इनकी पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 6692/2011 में पारित निर्णय दिनांक 07.03.14 की पालना में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 05.05.14 के द्वारा श्री कालूराम के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 02.06.11 को अपास्त कर दिया गया है। श्री कालूराम के विरूद्ध पारित दण्ड को अपास्त किये जाने के कारण इनको अतिरिक्त मुख्य अभियंता की वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार करने के लिये रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री कालूराम को उक्त वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नति की अनुशंषा की है। अतः श्री कालूराम को वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत किये जाने के एतद्द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं।

इस वर्ष की रिक्तियों में इनका नाम श्री अविनाश माथुर के नीचे एवं श्री नारायणरूप राय के ऊपर रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd-

(पंकज ओझा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल संसाधन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2)विभाग।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

13.2.15

शासन सहायक सचिव